सं.ए-27016/02/2017-स्था. (भत्ता)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

***

ब्लॉक IV, ओल्ड जेएनयू कैम्पस,

नई दिल्ली दिनांक 17 अगस्त 2020

कार्यालय ज्ञापन

विषयः रात्रि ड्यूटी भत्ता पर सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय का कार्यान्वयन।

रात्रि ड्यूटी भत्ता के विषय पर सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप इस विभाग के दिनांक 04.10.1989 के का.ज्ञा.सं. 12012/4/86-स्था.(भत्ता) तथा दिनांक 05.05.1994 के का.ज्ञा.सं. 15020/2/92-स्था.(भत्ता) का अधिक्रमण करते हुए निम्नलिखित अनुदेश जारी किए जा रहे हैं :-

(i) जहां कहीं भी रात्रि भारिता (वेटेज) पहलू को ध्यान में रखते हुए कार्य के घंटे सामने आते हैं, वहां कोई और प्रतिपूर्ति लागू नहीं हो सकती।

(ii) रात्रि ड्यूटी को 22:00 बजे और 6:00 बजे के बीच में की गई ड्यूटी के रूप में परिभाषित किया जाएगा।

(iii) निष्पादित की गई रात्रि ड्यूटी के प्रत्येक घंटे के लिए 10 मिनट की एकसमान भारिता (वेटेज) प्रदान की जाएगी।

(iv) रात्रि ड्यूटी भत्ता की पात्रता के लिए मूल वेतन की अधिकतम सीमा 43,600 रुपए प्रतिमाह होगी।

(v) रात्रि ड्यूटी भत्ता की प्रति घंटा-दर जो [(मूल वेतन+महंगाई भत्ता)/200] के बराबर हो, का भुगतान किया जाएगा तथा रात्रि ड्यूटी भत्ता की दरों की गणना करने के लिए मूल वेतन और महंगाई भत्ता, सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार मूल वेतन और प्रचलित महंगाई भत्ता होंगे।

(vi) यह सूत्रीकरण सभी मंत्रालयों/विभागों के सभी कर्मचारियों पर लागू होगा जो पहले से रात्रि ड्यूटी भत्ता प्राप्त कर रहे थे।

(vii) रात्रि ड्यूटी भत्ता की राशि प्रत्येक कर्मचारी के लिए पृथक रूप से तैयार की जाएगी, जो संबंधित कर्मचारी द्वारा रात्रि ड्यूटी करने की तारीख को आहरित किए जाने वाले मूल वेतन के आधार पर तय होगी। एक निश्चित ग्रेड वेतन के साथ सभी कर्मचारियों को समान दर से रात्रि ड्यूटी भत्ता प्रदान करने की मौजूदा प्रक्रिया को हटा दिया जाना चाहिए।

(viii) संबंधित पर्यवेक्षक द्वारा रात्रि ड्यूटी आवश्यक होने का एक प्रमाणपत्र दिया जाना चाहिए।

2. उपर्युक्त अनुदेश दिनांक 1 जुलाई, 2017 से लागू होंगे।

(राजेन्द्र प्रसाद तिवारी)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में:

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. एनआईसी को इस कार्यालय ज्ञापन को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।